न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 04 / 2025 (GCMS: 2025/75)

1. सुखजीत सिंह पुत्र श्री जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 33 पीटीपी, प्रतापपुरा, तहसील सादुलाहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **जलन्धर सिंह** पुत्र श्री मलसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 33 पीटीपी प्रतापपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. **कुलदीप कौर** पत्नी श्री जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी 33 पीटीपी प्रतापपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुखजीत सिंह अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पत्रावली दिनांक 24.02.2025 से लगातार क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुनवाई हेतु विचाराधीन है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में जलन्धर सिह एवं कुलदीप कौर ने एक प्रार्थना पत्र अपने पुत्र सुखजीत सिंह के विरूद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 व 23 के अन्तर्गत पेश किया था, जिसमें उसने रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 15.12.2022 को निरस्त करवाने की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में वर्तमान अपीलार्थी सुखजीत सिंह जो की अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी के रूप में थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.01.2025 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी की पत्नी सर्वजीत कौर के पक्ष में दिनांक 15.12.2022 को चक 33 पीटीपी के खाता सं. 124 / 65 सालम खाता यानि कुल 2.915 है. नहरी मय खाला इसी चक के खाता सं. 114 / 13 सालम खाता यानि 0.506 है. नहरी मय खाला आराजी कुल 3.383 है. भूमि के दानपत्र को निरस्त किया जाकर, उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को दिलाये जाने के आदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थी सुखजीत सिंह द्वारा यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपील पेश कर, उक्त आदेश दिनांक 27.01.2025 को निरस्त करवाने के लिए प्रार्थना की है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

यह अपील प्रार्थी **सुखजीत सिंह** ने **पुत्र की हैसियत से अपने पिता जलन्धर सिंह एवं माता कुलदीप कौर** के विरूद्ध पेश की है। माता पिता एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत पुत्र को अपील पेश करने का कोई **अधिकारिता है अथवा नहीं?** धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

> धारा 16.अपील–(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित **कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,**
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण– पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:
>
> **परन्तु** यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा संतान की हैसियत से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्द कुमार वगैरा के पैरा 10 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:–

> **13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099,**
>
> **This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]**

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार कोई भी न्यायालय / सरकार / अथोरिटी किसी भी प्रभावी कानून के विपरीत जाकर कोई आदेश / निर्देश जारी नहीं कर सकती है। चूंकि धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता– पिता के द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है और न ही संतान या संबंधी के रूप में प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है।

इसलिए अपीलार्थी सुखजीत सिंह ने पुत्र के रूप में दिनांक 06.02.2025 को प्रस्तुत की गई यह अपील, एडमिशन की स्टेज पर ग्रहण योग्य न होने के कारण, यहां से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर